

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना तारीख

सं० रा० दूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम महगुदपुर, थाना न० 137, परगना गयासपुर, थाना बाढ़, के जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बाढ़ से बख्तियारपुर नई बड़ी रेल लाईन निर्माण के लिए सरकार द्वारा जमीन ली जायी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम महगुदपुर, थाना न० 137 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम क्षेत्र 0.445 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या- 231, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246 एवं 247 सभी अंश भाग जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है -

उत्तर : खेसरा सं० 231, 234, 235, 236, 239, 240, 243, 244, 245 एवं 246 सभी अंश भाग ।

पूरव : मौजा-करनौरी, थाना न० 133 का सीमाना ।

दक्षिण : खेसरा सं० 234, 235, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 247 एवं 248 सभी अंश भाग ।

पश्चिम : मौजा-माधोपुर, थाना न० 138 का सीमाना ।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंध प्रारंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे उप मुख्य अभियंता(निर्माण) पूर्ण मध्य रेलवे, दानपुर, पटना के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में उष्ण सम्बंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के सम्बंधित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (6A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।


रामाहता
पटना।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

201

सरकार के SAC सचिव

आपांक संख्या-15/डी0 एल0 ए0 पटना (रिल)-16/13-1721/र०
दिनांक- 02-07-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला मजदूर, समाहरणालय, पटना को जिला मजदूर के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।